

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 26 नवम्बर, 2012

राजस्व अनुभाग-10

विषय : वर्ष 2012-13 में ओलावृष्टि के पूरक यथा-अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2012-13 में ओलावृष्टि के पूरक यथा-अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु धनावंटन हेतु शासनादेश संख्या-4024 / 1-10-2010-14(63) / 2010 दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 में दिए गए निर्देशानुसार प्रदेश में शीतलहरी के पूरक ओलावृष्टि, अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहर के प्रकोप से एम0एच0ए0 पत्र संख्या 32-7 / 2011-एन0डी0एम0-1 दिनांक 16 जनवरी, 2012 द्वारा जारी भारत सरकार की गाइड लाइन के आईटम नं0 - 3 के प्राविधान (Provision for Temporary Accommodation, food, clothing medical care etc. for people affected evacuated, sheltered in relief camps) के अनुसार गृह विहीन / निराश्रित / असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु श्री राज्यपाल महोदय रु0 5,00,000/- (रु0 पांच लाख मात्र) प्रति तहसील की दर से रु0 15,65,00,000/- (रु0 पन्द्रह करोड़ पैंसठ लाख मात्र) कम्बल आदि के क्रय हेतु एवं रु0 50,000/- (रु0 पचास हजार मात्र) प्रति तहसील की दर से रु0 1,56,50,000/- (रु0 एक करोड़ छप्पन लाख पचास हजार मात्र) अलाव जलाने हेतु निम्न विवरण के अनुसार संबंधित जिलाधिकारियों के निवर्तन पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

मण्डल का नाम	जनपद का नाम	तहसीलों की संख्या	आवंटित धनराशि (रुपये में)
1 सहारनपुर	1 सहारनपुर	5	2750000
	2 मुजफ्फरनगर	4	2200000
	3 शामली	2	1100000
2 मेरठ	4 मेरठ	3	1650000
	5 हापुड़	3	1650000
	6 गाजियाबाद	2	1100000
	7 बुलंदशहर	7	3850000
	8 गौतमबुद्ध नगर	3	1650000
	9 बागपत	3	1650000

			3300000	✓
3 आगरा	10 आगरा	6	2200000	
	11 मथुरा	4	2200000	
	12 फिरोजाबाद	4	1650000	
	13 मैनपुरी	3	2750000	✓
4 अलीगढ़	14 अलीगढ़	5	1650000	
	15 एटा	3	1650000	
	16 कांशगंज	3	2200000	✓
	17 हाथरस	4	3300000	✓
5 बरेली	18 बरेली	6	2750000	✓
	19 बदायूँ	5	2200000	
	20 शाहजहांपुर	4	1650000	
	21 पीलीभीत	3	2200000	
6 मुरादाबाद	22 मुरादाबाद	4	3300000	
	23 रामपुर	6	2750000	
	24 बिजनौर	5	1650000	
	25 अमरोहा	3	1650000	
	26 संबल	3	1650000	✓
7 कानपुर	27 कानपुर नगर	3	2750000	✓
	28 कानपुर देहात	5	2750000	
	29 इटावा	5	1650000	
	30 फर्रुखाबाद	3	1650000	
	31 कन्नौज	3	1100000	
	32 औरैया	2	4400000	✓
8 इलाहाबाद	33 इलाहाबाद	8	1650000	
	34 फतेहपुर	3	2750000	
	35 प्रतापगढ़	5	1650000	
	36 कौशाम्बी	3	2750000	
9 झांसी	37 झांसी	5	1650000	
	38 ललितपुर	3	2750000	
	39 जालौन	5	2200000	
10 चित्रकूटधाम	40 हमीरपुर	4	1650000	
	41 महोबा	3	2200000	
	42 बांदा	4	1100000	
	43 चित्रकूट	2	1100000	
11 वाराणसी	44 वाराणसी	2	3300000	
	45 जौनपुर	6	2750000	
	46 गाजीपुर	5	1650000	
	47 चन्दौली	3	2200000	
12 मिर्जापुर	48 मिर्जापुर	4		

	49 सोनभद्र	3	1650000
	50 संतरविदास नगर	3	1650000
13 आजमगढ़	51 आजमगढ़	7	3850000
	52 मऊ	4	2200000
	53 बलिया	6	3300000
14 गोरखपुर	54 गोरखपुर	7	3850000
	55 महाराजगंज	4	2200000
	56 देवरिया	5	2750000
	57 कुशीनगर	4	2200000
15 बस्ती	58 बस्ती	4	2200000
	59 सिद्धार्थनगर	5	2750000
	60 संतकबीर नगर	3	1650000
16 लखनऊ	61 लखनऊ	4	2200000 ✓
	62 उन्नाव	5	2750000
	63 रायबरेली	5	2750000
	64 सीतापुर	6	3300000
	65 हरदोई	5	2750000
	66 खीरी	6	3300000
	67 अमेठी	5	2750000
17 देवीपाटन	68 गोण्डा	4	2200000 ✓
	69 बहराइच	4	2200000 ✓
	70 बलरामपुर	3	1650000 ✓
	71 श्रावस्ती	2	1100000 ✓
18 फैजाबाद	72 फैजाबाद	5	2750000 ✓
	73 सुल्तानपुर	4	2200000 ✓
	74 बाराबंकी	6	3300000 ✓
	75 अम्बेडकर नगर	5	2750000 ✓
योग		313	172150000

2- उक्त स्वीकृत धनराशि से जनपद में प्रति तहसील निर्बल, निराश्रित, आश्रयहीन एवं असहाय व्यक्तियों को शीतलहरी से निजात दिलाने के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर सी0आर0एफ0 गाइड लाइन के अनुरूप यथोचित कार्यवाही की जाए। इस प्रयोजन हेतु स्थानीय नगर निकायों का भी सहयोग प्राप्त किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु भोजन, वस्त्र, आश्रय एवं चिकित्सा सुविधा के अभाव में न हो।

3- हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग के शासनादेश संख्या 75सी0एम0(1)/63व0उ0-2012-53(एच)/98टी0सी0, दिनांक 19 जुलाई, 2012 में वर्णित संस्थाओं उ0प्र0 इण्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन लि0 (यूपिका) एवं उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0 को कम्बल आदि के क्रय में प्राथमिकता प्रदान की जाए।

4- कय किये जाने वाले कम्बलो की पूर्व निर्धारित दर रू0 500 से अधिक न हो तथा मानक लम्बाई कम से कम 235 सेमी0, चौड़ाई कम से कम 140 सेमी0 तथा वजन कम से कम 2 किलो 200 ग्राम होना चाहिए। इन कम्बलो में कम से कम 70 प्रतिशत ऊन होना चाहिए तथा पुराने यार्न का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

5- आपूर्तित संस्था को इस आशय का टैग लगाना होगा जिस पर संबंधित संस्था का नाम कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण होगा। यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है जो बिक्री योग्य नहीं है।

6- निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को अत्यधिक ठंड व शीतलहरी से बचाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा बिना समय गवाये जरूरतमन्द व्यक्तियों को समय से निःशुल्क कम्बल आदि की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए ताकि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी की पूरी अवधि हेतु यह सुविधा उन्हें प्राप्त हो सके।

7- निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के चिन्हीकरण के लिए वृद्धावस्था पेंशन/विधवा पेंशन/अन्त्योदय कार्ड की प्रतीक्षा सूची, भूमिहीन, बीमार व अत्याधिक वृद्धजनों को प्राथमिकता दी जाय। विधवा पेंशन की प्रतीक्षा सूची में से अल्पसंख्यक बच्चों व अत्यधिक वृद्ध विधवाओं का तथा नगरीय क्षेत्र में मलिन बस्तियों व ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े मजरो में निवास करने वाले विशेषकर कमजोर वर्ग के वृद्ध व बीमार पुरुष/महिला को प्राथमिकता दी जाय। उपरोक्त के कम में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 तक चिन्हित कर लिया जाय ताकि दिनांक 15 दिसम्बर, 2012 तक कय किये गए कम्बलों आदि को कैम्प लगाकर वितरित करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि लगभग प्रत्येक ग्राम में निर्धनतम व्यक्तियों को कम्बल अवश्य वितरित हो जाए। उपरोक्त के कम में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को चिन्हीकरण एक सप्ताह में कर लिया जाय तथा व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाय।

8- लाभार्थियों का विवरण जनपद स्तर पर रखा जाय तथा उसे जनपद की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाय।

9- कय किये गये कम्बलो आदि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया जाय।

10- अलाव जलाने पर व्यय हुई धनराशि एवं अन्य मदों पर व्यय हुई धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र अलाव के जलाने के स्थल, दिन की संख्या, लकड़ी/कम्बल आदि के कय की रसीद, कुल व्यय सहित पूर्ण सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाय।

11- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

12- उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0-78/पी0एस0आर0/2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या- 32-7/2011-NDM-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइडलाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश सं0 2785/1-10-2011-12(73)/2008 दिनांक 14.10.2011 के अनुसार किया जायेगा।

13- आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रणाली पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2013 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

14- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

भवदीय,
(एल0 वेंकटेश्वर लू)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या 2690/1-10-12(34)/03टी0सी0-1, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद
- 2- समस्त मंडलायुक्त।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- ✓ 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
- 6- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5।
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11।
- 9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
- 9- निजी सचिव, सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Rmel
(आर0 एन0 द्विवेदी)
अनुसचिव।